रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1885] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 4, 2015/भाद्र 13, 1937
No. 1885] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 4, 2015/BHADRA 13, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2015

का.आ. 2420(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 930 (अ), तारीख 29 अप्रैल, 2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ए, खण्ड 3, उप—खण्ड (पप) में तारीख 29 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित की गई थी, में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थातः—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, जिला ''चन्दौली'' से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने, कॉलम (7) में, प्रविष्टि ''(38) झांसी'' के पश्चात् क्रम संख्या 39 और 40 पर अतिरिक्त गांव ''बसरतिया'' और ''रेवसा'' अंतःस्थापित किए जाएंगे;

[फा. सं. भाराराप्रा/11013/01/2015—एलए—रिंग रोड/पीआईयू—वाराणसी]

वी. कृष्णास्वामी, निदेशक

पाद टिप्पणी : मूल अधिसूचना का.आ. 2633 (अ), तारीख 25 अक्तूबर, 2010, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप—खण्ड (ii) में, तारीख 25 अक्तूबर, 2010 को प्रकाशित की गई थी जिसके अधिक्रमण की अधिसूचना का.आ. 930 (अ), तारीख 29 अप्रैल, 2011 के तहत प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 2015

S.O. 2420(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 930(E) dated the 29th April, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 29th April, 2011, namely:—

In the Schedule to the said notification, against serial number 2 relating to District "Chandauli", in column (7) after entry "(38) Jhansi" additional village "Basratiya" and "Revasa" having serial number 39 and 40 may be inserted.

[F. No. NHAI/11013/01/2015-LA-Ring Road/PIU-Varanasi]

V. KRISHNASWAMY, Director

Footnote : The principal notification was published *vide* S.O. 2633(E), dated the 25th October, 2010, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 25th October, 2010 and in supersession was published *vide* S.O. 930(E) dated 29th April, 2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.